न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
55 / 2022	2022 / 240	12.05.2022	29.08.2022

उनवान प्रकरण

1. माला पुत्र रूडा उम्र– 55 वर्ष
2. नानूड़ी पत्नी रूडा उम्र– 75 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——वादीगण

बनाम

1. कजौड पुत्र मांगूराम आयु 75 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. मैनेजर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री रिछपाल बाजिया, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

वादपत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:16 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 571/1, 571/1398, 571/3, 571/5 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। भूमि खसरा नम्बर 1026/571, 571/2, 571/4 कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित हैं। जिसके सम्पूर्ण हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमियो में पूर्व खसरा नम्बर 571 रकबा 1.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 571/1398 रकबा 1.59 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित हैं। जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 में हिस्सा 1/2 वादीगण के नाम बहिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड रही हैं। उक्त वर्णित भूमियों का बंटवारा पक्षकारान् ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2010 में दिनांक 20.12.2010 में प्रस्तुत कर आपसी विभाजन बाबत् तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा हस्ताक्षर करवाकर उनके मौके पर बंटवारा अनुसार बंटवारा कर खातेदारी अलग–अलग दर्ज कर दिये जाने बाबत् आश्वस्त कर दिया गया था व वादीगण पूर्णरूपेण व आश्वस्त थे कि अपनी खातेदारी अलग–अलग दर्ज हो गयी हैं। वादीगण पूर्णरूपेण इसी भरोसे होकर आश्वस्त रहे कि खातेदारान के मध्य आपसी विश्वाश्रित सम्बंध रहने के कारण एक–दुसरे पर किसी प्रकार की शक या शंका होने का कोई अंदेशा वादीगण को नही रहा हैं क्योंकि वादीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त रहे हैं। दिनांक 18.04.2022 को वादीगण अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व नक्शे की नकल व जमाबंदी देखने पर वादीगण को थोड़ा शक हुआ तो पटवार हल्का द्वारा स्वंय मौके पर जाकर देखा तो वादीगण को इस बात की जानकारी हुयी की वादीगण के कब्जे व बंटवारे की भूमि की खातेदारी [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे व बंटवारे की भूमि की खातेदारी वादीगण के [illegible] दर्ज कर दिये जाने की जानकारी प्रथम बार हुयी हैं। वादीगण ने [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:16 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी दर्ज कर दिये जाने बाबत् निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में वाद दायर कर खातेदारी अलग–अलग दर्ज कराने बाबत् कहां। इस कारण वादीगण द्वारा अदालत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। बिनाय दावा दिनांक 18.04.2022 को वादीगण द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु नक्शा व जमाबंदी को देखने पर व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर खातेदारी एक–दुसरे के विपरित दर्ज होने बाबत् कहने व उक्त खातेदारी सही दर्ज कराने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर खातेदारी सही रूप से दर्ज कराने बाबत् कहां जाने पर यही बिनाय दावा पैदा होकर लगातार हो रहा हैं। दावा हस्ब कानून अन्दर मियाद हैं। उक्त वर्णित भूमियों का बंटवारा पक्षकारान द्वारा काफी समय पूर्व ही कर लिया गया था। उक्त बंटवारा अनुसार पूर्वी तरफ की पाटी में दक्षिणी तरफ की भूमि व पश्चिमी तरफ की पाटी में उत्तरी तरफ की भूमि वादीगण के हक हिस्से व बंटवारे में रखी गयी हैं तथा पूर्वी तरफ की पाटी का उत्तरी हिस्सा व पश्चिमी तरफ की पाटी का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक हिस्से व बंटवारे में रखा गया हैं। इसी अनुसार पक्षकारान आज भी मौके पर उपरोक्तानुसार ही मौके पर काबिज काश्त हैं। इस कारण वादीगण को उक्तानुसार वर्णित भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के पूर्णरूपेण विधिक अधिकारी हैं। उक्त त्रुटि केवल मात्र वरवक्त बंटवारा जो प्रशासन गांवो के संग अभियान–2010 में सहवन व भूलवश दर्ज हुयी हैं। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 की ओर से श्री रिछपाल बाजिया एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी माला का व वादी साक्ष्य गवाहान् में कजोड़ व श्रीराम के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादीगण ने प्रतिवादी [illegible] द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:16 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

दिलीप [illegible]
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

जवाब दावा के द्वारा वादपत्र में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 571/1, 571/1398, 571/3, 571/5 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड व भूमि खसरा नम्बर 1026/571, 571/2, 571/4 कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर के सम्पूर्ण हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियो में पूर्व खसरा नम्बर 571 रकबा 1.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 571/1398 रकबा 1.59 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर की जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 में हिस्सा 1/2 वादीगण के नाम बहिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमियों का पक्षकारान् के मध्य आपस में पारिवारिक सैटलमेंट में अलग–अलग भूमियॉ आना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादी पक्षकार के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी पक्षकार के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्र को बरूए इकबाली जवाब दावा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 571/1, 571/1398, 571/3, 571/5 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) की खातेदारी वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज की जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 [redacted] नाम हजफ किया जाता है एंव भूमि खसरा नम्बर 1026/571, 571/2, 571/4 कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) के सम्पूर्ण हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त भूमियों से वादीगण का नाम हजफ किया जाता है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 571/1, 571/1398, 571/3, 571/5 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) में प्रतिवादी संख्या 2 के यहॉ से रहन हटाया जाकर उक्त रहन भूमि खसरा नम्बर 1026/571, 571/2, 571/4 कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला) में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल [redacted]मार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 28/08/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:16 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 29/08/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्री
श्रीमाधोपुर (सीकर)